राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

सं.एफ.5(1)कार्मिक/क-2/98 जयपुर,दिनांक 19/3/98

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के पर्यावरण विभाग में निदेशक, उप-निदेशकों और वैज्ञानिक अधिकारियों के रूप में नियुक्ति हेतु विशेष-चयन की प्रक्रिया और सेवा की शर्तें अधिकथित करने के लिए, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

राजस्थान सिविल सेवा (पर्यावरण विभाग में निदेशक, उप-निदेशकों और वैज्ञानिक अधिकारियों के विशेष-चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 1998

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-** (i) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (पर्यावरण विभाग में निदेशक, उप-निदेशकों और वैज्ञानिक अधिकारियों के विशेष-चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 1997 है। 1998.

(ii) ये राजस्थान राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **विस्तार और लागू होना :-** ये नियम राजस्थान सरकार के पर्यावरण विभाग में निदेशक, उप-निदेशकों, वैज्ञानिक अधिकारियों की नियुक्ति पर लागू होंगे।

3. **परिभाषाएँ** - जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से निदेशक और उप-निदेशक के मामले में राजस्थान सरकार और वैज्ञानिक अधिकारी के मामले में निदेशक और ऐसा अन्य अधिकारी अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा किन्हीं शर्तों के साथ या शर्तों के बिना यह शक्ति प्रत्यायोजित की जाये;
(ख) "समिति" से नियम 10 में निर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है;
(ग) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;
(घ) "सेवा अभिलेख" से जहां वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का रखा जाना विहित किया जाये वहां ऐसा अभिलेख और अन्य सुसंगत सेवा अभिलेख अभिप्रेत है;
(ङ) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;
(च) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है, और
(छ) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

4. **निर्वचन :-** जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों के निर्वचन के लिए राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम VIII) उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

5. पदों की संरचना, प्रकृति और संख्या :- (i) अनुसूची-I में यथाविनिर्दिष्ट तीन पद-प्रवर्ग होंगे जो पदावधि के आधार पर या सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये गये अनुसार, धारित किये जावेंगे।

(ii) प्रत्येक प्रवर्ग के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की जाये :

परन्तु सरकार कोई भी पद किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना, खाली या प्रास्थगित रख सकेगी या उत्सादित कर सकेगी।

6. रिक्तियों का अवधारण:- नियुक्ति प्राधिकारी, जहां तक संभव हो प्रत्येक वर्ष की 1, अप्रैल के पश्चात् अगले बारह मास के दौरान या जब कभी ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न हो प्रत्येक वर्ग में भरी जाने के लिए प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या विनिश्चित करेगा।

परन्तु वर्ष 1997-98 के लिए रिक्तियों का अवधारण इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् यथासंभव शीघ्र किया जायेगा।

7. अवधि :- (i) निदेशक या उप-निदेशकों या वैज्ञानिक अधिकारियों के किसी पद अधिकारी द्वारा सामान्यतः तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए धारित किये जायेंगे, जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक समय में एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए और बढ़ायी जा सकेगी किन्तु कुल अवधि किसी भी मामले में 6 वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

(ii) अनुसूची-I में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर समस्त नियुक्तियाँ प्रथमतः मूल विभाग/सेवा या अनुसंधान/प्रशिक्षण संस्थाओं या संगठनों से अस्थायी स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति पर और एक वर्ष की कालावधि के लिए होंगी जिन्हें प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर उपदर्शित कालावधि तक इस शर्त के अध्यधीन बढ़ाया जा सकेगा कि उक्त वृद्धि उसके मूल विभाग, सेवा या संस्था की सेवा की शर्तों के अनुसार उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से परे न हो। इस प्रकार नियुक्त किये गये अधिकारी को अपने उस मूल विभाग/सेवा या काडर या अन्य निकायों में प्रतिवर्तन का या धारणाधिकार रखने का अधिकार होगा जिस सेवा से उसे नियम 8 के अधीन लिया गया है किन्तु ऐसे प्रतिवर्तन पर वे विभाग सेवा या संस्था की सेवा की शर्तों द्वारा शासित होंगे किन्तु जहां तक राजस्थान सरकार के अधीन की सेवा का संबंध है इन नियमों के अधीन की गई सेवा समस्त प्रयोजनों के लिए गिनी जायेगी सिवाय इसके कि उन्हें निदेशक या उप-निदेशक या वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में वेतन या वेतनमान या उनके द्वारा धारित प्रास्थिति के संरक्षण का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा, जब तक इन नियमों में अन्यथा उपबंधित न हो।

परन्तु निदेशक, उप निदेशक या वैज्ञानिक अधिकारी अपने मूल विभाग, सेवा या संस्था की सेवा की शर्तों के अनुसार जो उसे ऐसे कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन सामान्यतः अनुज्ञेय से भिन्न हों। अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे सकेगा या सेवानिवृत्ति ले सकेगा।

परन्तु यह और कि ज्योंही कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन अपने द्वारा धारित पद से उच्चतर वेतनमान वाले किसी पद पर मूल काडर में पदोन्नत हो तो उसे तुरन्त मूल विभाग में प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा।

8. चयन का स्त्रोत :- इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात्, अनुसूची। के स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन नियम 10 में निर्दिष्ट समिति की सिफारिश पर अनुसूची-I के स्तम्भ 3 में उल्लिखित उन व्यक्तियों में से किया जायेगा जो या तो सरकार या भारत सरकार, विश्वविद्यालय जिसमें डीम्ड विश्वविद्यालय भी सम्मिलित है या सरकार द्वारा नियंत्रित या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय या मान्यता प्राप्त शैक्षिक विद्यालय, महाविद्यालय या अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या सरकार द्वारा नियंत्रित निकाय, के अधीन किसी पद पर धारणाधिकार रखते हैं या जो तदर्थ, स्टाप गैप या आकस्मिक आधार से भिन्न नियमित आधार पर नियुक्त किये गये हैं ।

9. चयन के लिए पात्रता :- विभिन्न पदों के लिए विचार किये जाने हेतु केवल वे ही व्यक्ति पात्र होंगे जो उस वर्ष की 1 अप्रैल को, जिसमें उनके बारे में विचार किया जाना है, अनुसूची-I में अधिकथित शर्तों को पूरा करते हों :

परन्तु चयन समिति को पर्यावरण का विशिष्ट अनुभव और विवेक रखने वाले विशेष रूप से योग्य अभ्यर्थियों के मामले में अनुसूची में पात्रता के लिए नियत की गई आयु सीमा की अपेक्षाएं, यदि कोई हों, शिथिल करने की शक्तियां होगी ।

10. चयन समिति :- (क) निदेशक और उप-निदेशक के पदों पर चयन एक समिति की सिफारिश पर किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(1)	मुख्य शासन सचिव या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई भी अन्य शासन सचिव ।	अध्यक्ष
(2)	कार्मिक विभाग का शासन सचिव या उसका प्रतिनिधि जो कार्मिक विभाग के उप शासन सचिव के रैंक से नीचे का न हो ।	सदस्य
(3)	मुख्य सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट दो व्यक्ति जो पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्टता रखते हो ।	सदस्य
(4)	पर्यावरण विभाग का शासन सचिव ।	सदस्य
(5)	पर्यावरण विभाग का विशेषाधिकारी एवं अपर शासन सचिव ।	सदस्य-सचिव

(ख) वैज्ञानिक अधिकारियों के पद पर चयन एक समिति की सिफारिश पर किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे -

(1)	पर्यावरण विभाग का शासन सचिव ।	- अध्यक्ष
(2)	कार्मिक विभाग का शासन सचिव या उसका प्रतिनिधि जो कार्मिक विभाग के उप शासन सचिव की रैंक से नीचे का न हो ।	- सदस्य
(3)	पर्यावरण विभाग का विशेषाधिकारी एवं अपर शासन सचिव ।	- सदस्य
(4)	निदेशक, पर्यावरण विभाग, राजस्थान ।	- सदस्य-सचिव

11. <u>चयन के लिए कसौटी</u> : - चयन, चयन समिति द्वारा निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार के पश्चात् किया जायेगा :-

(क) तकनीकी एवं अनुसंधान संबंधी अर्हताएँ और उनका व्यावहारिक प्रयोग,
(ख) व्यक्तित्व और चरित्र,
(ग) चातुर्य, बुद्धिमत्ता और स्फूर्ति,
(घ) सत्यनिष्ठा,
(ङ) सेवा का पूर्व अभिलेख, और
(च) पूर्व अनुभव ।

12. <u>चयन की प्रक्रिया</u> - (1) ज्योंही यह विनिश्चित हो कि अनुसूची-II के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट किसी संख्या में रिक्त पदों को भरने के लिए अनुसूची-I के स्तंभ 3-4 में उल्लिखित अधिकारियों में से चयन किया जाना हो, शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, या ऐसा कोई अधिकारी, जिसे वह इस प्रयोजन के लिए निर्देश दे, समस्त संबंधित विभागों को और ऐसी अनुसंधान/शैक्षिक संस्था और संगठनों को, जैसा वह ठीक समझे, एक परिपत्र भेजेगा और समस्त पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक विज्ञापन भी जारी करेगा और अनुसूची-I के स्तंभ-3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंधित विभागाध्यक्षों और संस्थाओं के प्रमुखों से किसी विहित तारीख तक उन अधिकारियों के जो इन नियमों के उपबन्धों के अधीन इन नियमों की अनुसूची-I के स्तंभ 2 में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर चयन के लिए पात्र हैं, और जिनके नाम सूची में सम्मिलित किये गये हैं, उनके संबंध में अपनी सिफारिशें वार्षिक गोपनीय पंजियों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों तथा अन्य सेवा अभिलेख के साथ, भेजने की अपेक्षा करेगा ।

(2) उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन सिफारिशें प्राप्त होने पर शासन सचिव, पर्यावरण विभाग या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी समस्त पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा और उसे ऐसे अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय पंजियों/वार्षिक-कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदनों और सेवा अभिलेख के साथ, जिनके नाम सूची में सम्मिलित किये गये हों नियम 10 में निर्दिष्ट समितियों के सामने रखेगा जो भरी जाने वाली संभावित रिक्तियों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन उनके योग्यता क्रम में करेंगी :

परन्तु यदि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हों तो समितियां आरक्षित सूची में अधिक अभ्यर्थियों को रख सकेंगी जिनकी संख्या अवधारित रिक्तियों के 50% से अधिक नहीं होगी । ऐसे अभ्यर्थियों के नामों पर नियुक्ति के लिए तब विचार किया जा सकेगा यदि ऐसी रिक्तियां चयन की तारीख से 6 मास के भीतर-भीतर वास्तव में हों ।

13. <u>नियुक्ति</u> :- (1) अनुसूची-I के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट पद पर नियुक्ति, योग्यता क्रम में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, नियम 12 के उप-नियम (2) के अधीन तैयार की गई सूची में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों में से की जायेगी ।

(2) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को सरकार द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा :

परन्तु ऐसे अधिकारी की नियुक्ति अनुमोदन के लिए समिति को, ज्योंही नियुक्ति के पश्चात् उसकी बैठक हो, निर्दिष्ट की जायेगी और नियुक्ति की अवधि नियम 7 में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होगी।

14. अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति :- अनुसूची-I के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पद पर नियम 12 के अनुसार नियमित चयन होने तक के लिए नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के अधीन पात्र किसी व्यक्ति की बिलकुल अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए नियुक्त कर सकेगा।

15. वेतन तथा अन्य शर्तें :- (1) अनुसूची-I के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट पद के लिए अनुज्ञेय वेतनमान और प्रारंभिक वेतन और मूल काडर में पदोन्नति पद वेतन में वृद्धि से संबंधित अन्य शर्तें तथा सेवानिवृत्ति फायदे अनुसूची-II के अधिकथितानुसार और ऐसे होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत किये जायें।

(2) राजस्थान राज्य के सरकारी कर्मचारियों से भिन्न अधिकारियों की संविदा प्रतिनियुक्ति की शर्तें ऐसी होंगी जिन पर सरकार द्वारा या संबंधित मूल प्राधिकारी की सहमति हो जाये।

(3) इन नियमों में यथोउपबंधित के सिवाय, इन नियमों की अनुसूची-I के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट पद के लिए सेवा की अन्य शर्तें संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये तथा तत्समय प्रवृत्त राज्य सरकार के अधिकारियों पर लागू अन्य नियमों द्वारा विनियमित होंगी।

(4) यदि अधिकारी अपने मूल विभाग/संस्था में पदोन्नति के कारण किसी उच्चतर वेतनमान के लिए हकदार हो जाता है तो पर्यावरण विभाग उसे उसके मूल विभाग में भेजने के लिए बाध्य होगा।

16. शंकाओं का निराकरण :- यदि इन नियमों के लागू किये जाने, इनके निर्वचन और विस्तार के सम्बन्ध में कोई शंका उत्पन्न हो तो सामला सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

17. निरसन तथा व्यावृति :- इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों से संबंधित समस्त नियम और आदेश, जो इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

..... निरन्तर

अनुसूची-I

क्रम संख्या	पद का नाम और वेतनमान	सेवा या पद या संस्था इत्यादि का नाम जिसके सदस्य या धारक विचार किए जाने के पात्र हैं	वेतनमान या न्यूनतम वेतन, पात्रता की शर्तें	पात्रता के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं और न्यूनतम अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	निदेशक	(i) सरकार के विभिन्न राज्य सेवा नियमों में संवर्गित समस्त अधिकारी जो (क) सरकार के वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हों	3000-4500 के वेतनमान में 3400/- रुपया या इससे अधिक वेतन आहरित कर रहे हों।	38-48 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 9 वर्ष का अनुभव जो कि वन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भूभौतिकी, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से किसी एक विषय से सम्बन्धित हो।	
		(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हों	3000-4500 के वेतनमान में 3400/- रुपया या इससे अधिक वेतन आहरित कर रहे हों।	38-48 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 9 वर्ष का अनुभव जो कि वन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भूभौतिकी, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से किसी एक विषय से सम्बन्धित हो।	

1	2	3	4	5	6	7
		(ii) निम्नलिखित के स्थायी कर्मचारी				
		(क) कर्मचारी सरकार द्वारा स्थापित राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम तथा स्वशासी निकायों के स्थायी कर्मचारी जो राज्य के पैटर्न पर वेतन आहरित कर रहे हों।	3000-4500 के वेतनमान में 3400/- रुपया या इससे अधिक वेतन आहरित कर रहे हों।	30-48 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 9 वर्ष का अनुभव जो कि वन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भूभौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से किसी एक विषय से सम्बन्धित हो।
		(ख) भारत सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वशासी निकाय और केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के	3000-4500 के वेतनमान में 3400/- रुपया या इससे अधिक वेतन आहरित कर रहे हों।	30-48 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 9 वर्ष का अनुभव जो कि वन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भूभौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से किसी एक विषय से सम्बन्धित हो।

1	2	3	4	5	6	7
		(iii) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय (जिसमें डीम्ड विश्वविद्यालय भी सम्मिलित है) या किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त अध्यापन महाविद्यालय या अनुसंधान संस्थान के रीडर/प्राध्यापक	3000-4500 के वेतनमान में 3400/- रुपया या इससे अधिक वेतन आहरित कर रहे हों।	30-48 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 9 वर्ष का अनुभव जो कि वन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भूभौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से किसी एक विषय से सम्बन्धित हो।	प्रतिनियुक्ति या संविदा आधार पर

1	2	3	4	5	6	7
2.	उप निदेशक	(i) सरकार के विभिन्न राज्य सेवा नियमों में संवर्गित समस्त अधिकारी जो				
		(क) सरकार के वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हों	2200-4000 के वेतनमान में 2650/- रु. या इससे अधिक मूल वेतन आहरित कर रहे हों।	28-45 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव जो कि वन जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान भूगर्भ विज्ञान, भूभौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से, किसी एक विषय से सम्बन्धित हो।	---
		(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हों	2200-4000 के वेतनमान में 2650/- रु. या इससे अधिक मूल वेतन आहरित कर रहे हों।	28-45 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव जो कि वन जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान भूगर्भ विज्ञान, भूभौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से, किसी एक विषय से सम्बन्धित हो।	---

1	2	3	4	5	6	7
		(ii) निम्नलिखित के स्थायी कर्मचारी				
		(क) सरकार द्वारा स्थापित राज्य पब्लिक सैक्टर उपक्रमों तथा स्वशासी निकायों के स्थायी कर्मचारी जो राज्य के पैटर्न पर वेतन आहरित कर रहे हों।	2200-4000 के वेतनमान में 2650/- रु. या इससे अधिक मूल वेतन आहरित कर रहे हों।	28-45 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव जो कि वन जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान भूगर्भ विज्ञान, भूभौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से, किसी एक विषय से सम्बन्धित हो।	
		(ख) भारत सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वशासी निकायों और केन्द्रीय पब्लिक सैक्टर उपक्रमों के स्थायी कर्मचारी	2200-4000 के वेतनमान में 2650/- रु. या इससे अधिक मूल वेतन आहरित कर रहे हों।	28-45 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव जो कि वन जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान भूगर्भ विज्ञान, भूभौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से, किसी एक विषय से सम्बन्धित हो।	

1	2	3	4	5	6	7
		(iii) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय (जिसमें डीम्ड विश्वविद्यालय भी सम्मिलित है) या किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त अध्यापन महाविद्यालय या अनुसंधान संस्थान के प्राध्यापक	2200-4000 के वेतनमान में 2650/- रु. या इससे अधिक मूल वेतन आहरित कर रहे हों।	28-45 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव जो कि वन जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान भूगर्भ विज्ञान, भूभौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से, किसी एक विषय से सम्बन्धित हो।	प्रतिनियुक्ति या संविदा आधार पर

1	2	3	4	5	6	7
3.	वैज्ञानिक अधिकारी	(क) राज्य की कोई भी अधिनस्थ सेवा	1400-2600 के वेतनमान में मूल वेतन 1850/- या इससे अधिक वेतन आहरित कर रहे अधिकारी	25-40 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव जो कि वन जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान भूगर्भ विज्ञान, भूभौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से, किसी एक विषय से सम्बन्धित हो।	
		(ख) सरकार द्वारा स्थापित स्वशासी निकायों या राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के स्थायी कर्मचारी	1400-2600 के वेतनमान में मूल वेतन 1850/- या इससे अधिक वेतन आहरित कर रहे अधिकारी	25-40 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव जो कि वन जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान भूगर्भ विज्ञान, भूभौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से, किसी एक विषय से सम्बन्धित हो।	

1	2	3	4	5	6	7
		(ग) केन्द्रीय सरकार के या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वशासी निकायों और केन्द्रीय सरकार के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के स्थायी कर्मचारी	1400-2600 के वेतनमान में मूल वेतन 1850/- या इससे अधिक वेतन आहरित कर रहे अधिकारी	25-40 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव जो कि वन जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान भूगर्भ विज्ञान, भूभौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से, किसी एक विषय से सम्बन्धित हो।	------
		(घ) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय (जिसमें डीम्ड विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं) या किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त अध्यापन महाविद्यालय या अनुसंधान संस्थान के प्राध्यापक या अनुसंधान/विस्तार कर्मचारी।	1400-2600 के वेतनमान में मूल वेतन 1850/- या इससे अधिक वेतन आहरित कर रहे अधिकारी	25-40 वर्ष	स्नातक, साथ में पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव जो कि वन जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी, जैव रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान भूगर्भ विज्ञान, भूभौतिकी, पर्यावरणीय विज्ञान, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरणीय नियोजन में से, किसी एक विषय से सम्बन्धित हो।	प्रतिनियुक्ति या संविदा आधार पर

अनुसूची-II

(नियम 15 देखिए)

वेतन, पदोन्नति की शर्तें और सेवा की अन्य शर्तें

1. वेतनमान - विभिन्न पदों पर नियुक्ति पर अधिकारी का वेतन अनुसूची-I के स्तम्भ 2 में उल्लिखित वेतनमान में उसके द्वारा विद्यमान पद (अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में) पर आहरित वास्तविक वेतन में निदेशक के मामले में 200/- रु., उप निदेशक के मामले में 150/- रु. और वैज्ञानिक अधिकारी के मामले में 75/- रु. की वृद्धि करके काल्पनिक रूप से निकाले गये वेतन के बराबर की स्टेज पर और यदि ऐसी कोई बराबर की स्टेज न हो तो अगली उच्चतर स्टेज पर नियत किया जायेगा। अगली वेतनवृद्धि राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 31 के अधीन संगणित वेतनवृद्धि कालावधि पूरी होने के पश्चात् प्रोद्भूत होगी।

परन्तु यह कि सेवा के उन अधिकारियों को, जो उपरिवर्णित वेतन नियम में वेतन नियतन के लिए पात्र नहीं हैं, निदेशक के मामले में 200/- रु. प्रतिमास, उप निदेशक के मामले में 150/- रु. प्रतिमास और वैज्ञानिक अधिकारी के मामले में 75/- प्रतिमास का विशेष वेतन मंजूर किया जा सकेगा।

अपवाद - इस नियम के प्रयोजन के लिए स्थानापन्न वेतन से नियमित नियुक्ति के पश्चात् विद्यमान पद पर स्थानापन्न हैसियत से आहरित वेतन अभिप्रेत है और इसमें तदर्थ या अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर या छुट्टी के कारण हुई रिक्ति या बिलकुल अस्थायी आधार पर हुई रिक्ति के कारण आहरित वेतन सम्मिलित नहीं होगा।

2. मूल कॉडर में पदोन्नति - इन नियमों के अधीन निदेशक, उप निदेशक और वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में नियुक्ति किया गया व्यक्ति अपने मूल काडर में प्रोफार्मा पदोन्नति के लिए हकदार होगा और उसके मूल काडर में उच्चतर पद पर उसका वेतन राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 26 क में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार नियत किया जायेगा। निदेशक, उप निदेशक, वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में की गई सेवा की कालावधि मूल काडर में उसके पद पर समय-समय पर लागू वेतनमान में वेतन वृद्धि के प्रयोजनार्थ गिनी जायेगी।

3. पैंशन, भविष्य निधि आदि - यदि संबंधित व्यक्ति निदेशक, उप-निदेशक या वैज्ञानिक अधिकारी का पद धारण करते हुए सेवा निवृत्त होता है तो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 256(ग) के अधीन पैंशन, ग्रेच्यूइटी (उपदान) संगणित करने के लिए प्रयोजनार्थ उसकी परिलब्धियां वे मानी जायेंगी जिनका वह तब हकदार होता यदि उसे निदेशक या उप-निदेशक या वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में नियुक्ति नहीं किया गया होता।

राज्यपाल के आदेश और नाम से

(सूरजमल केडवाल)
उप शासन सचिव

23/98